RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
जनवरी
21
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

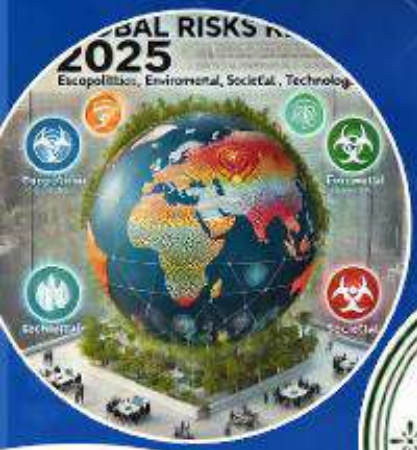

By Ankit Avasthi Sir

ILO रिपोर्ट: अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों पर वैश्विक अनुमान / ILO Report: Global Estimates on International Migrants

संदर्भ:

दिसंबर 2024 में, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन (ILO) की अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों पर आधारित **चौथी वैश्विक रिपोर्ट** जारी की गई।

वैश्विक प्रवासी श्रमिकों पर रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

वैश्विक प्रवासी अनुमान:

- 2022 में लगभग **169 मिलियन अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक** दर्ज किए गए।
- यह वैश्विक श्रम शक्ति का **4.7%** है।
- वैश्विक श्रम शक्ति का अर्थ है वे लोग जो नियोजित या बेरोजगार हैं लेकिन काम करने के इच्छुक हैं।
- **वृद्धि का रुझान:** प्रवासी श्रमिकों की संख्या 2013 में 150 मिलियन, 2017 में 164 मिलियन से बढ़कर 2022 में 169 मिलियन हो गई।

क्षेत्रीय वितरण: **68.4% प्रवासी श्रमिक** उच्च आय वाले देशों जैसे यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अरब देशों में स्थित हैं।

लैंगिक असमानता:

- प्रवासी श्रमिकों में महिलाओं की भागीदारी केवल **38.7%** है, जबकि पुरुषों की भागीदारी **61.3%** है।
- महिलाएं मुख्य रूप से **सेवा क्षेत्र में कार्यरत** हैं, विशेष रूप से देखभाल अर्थव्यवस्था से जुड़े कार्यों में।

प्रवासी श्रमिकों का क्षेत्रवार वितरण:

- **68.4% प्रवासी श्रमिक** सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं।
- महिला प्रवासी श्रमिकों का सेवा क्षेत्र में वर्चस्व (**80.1%**) पुरुषों (**60.8%**) की तुलना में अधिक है।
- **निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र** में प्रवासी श्रमिकों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक है।
- **कृषि क्षेत्र** मुख्य रूप से गैर-प्रवासियों द्वारा संचालित है।

रिपोर्ट में उजागर चुनौतियाँ:

1. **लैंगिक भेदभाव:**
   - प्रवासी महिलाओं को देखभाल अर्थव्यवस्था तक सीमित रखा जाता है।
   - पुरुषों की तुलना में महिलाओं की बेरोजगारी दर अधिक है।
2. **आर्थिक असुरक्षा:**
   - प्रवासी श्रमिकों को **कम वेतन** और **शोषणकारी परिस्थितियों** में काम करना पड़ता है।
   - सामाजिक सुरक्षा की कमी आपातकालीन स्थितियों में श्रमिकों को संकट में डालती है।
3. **रोजगार में बाधाएं:** **योग्यता, कौशल की कमी** और **भाषाई बाधाएं** श्रमिकों के लिए नई जगहों में समायोजन को कठिन बनाती हैं।
4. **सामाजिक अलगाव:** प्रवासी श्रमिकों को अक्सर **ज़ेनोफोबिया (विदेशियों के प्रति भय), नस्लवाद और सामाजिक बहिष्कार** का सामना करना पड़ता है।
5. **प्रवास की उच्च लागत:**
   - प्रवासी श्रमिकों को एजेंटों को अत्यधिक शुल्क देना पड़ता है, जिससे वे **ऋण और वित्तीय बोझ** में फंस जाते हैं।
   - इससे श्रमिक **मानव तस्करी और जबरन श्रम** के शिकार बनते हैं, जैसे कि **अरब देशों की कफाला प्रणाली।**

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के बारे में:

स्थापना:

- **1919 में वर्साय संधि** के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ILO की स्थापना हुई।
- इसका उद्देश्य था कि **सामाजिक न्याय** के आधार पर सार्वभौमिक और स्थायी शांति स्थापित की जाए।
- **1946 में, लीग ऑफ नेशंस के विघटन** के बाद, ILO संयुक्त राष्ट्र की पहली **विशेषीकृत एजेंसी** बनी।

विशेषता:

- यह **संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी** है जहां **श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकारों** के प्रतिनिधियों को नीति-निर्माण में समान अधिकार प्राप्त हैं।
- इन तीनों समूहों का ILO की सभी निर्णय लेने वाली संस्थाओं में प्रतिनिधित्व होता है और वे इसके कार्यों को संचालित करने की जिम्मेदारी साझा करते हैं।

मुख्यालय:

- जिनेवा, स्विट्जरलैंड।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के उद्देश्य:

1. श्रम मानकों और मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देना और सुनिश्चित करना:
2. स्त्री-पुरुष दोनों के लिए सम्मानजनक रोजगार और आय के अवसर सृजित करना:
3. सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज और प्रभावशीलता को बढ़ाना:
4. त्रिपक्षीय सहयोग और सामाजिक संवाद को मजबूत करना

आत्महत्या के लिए उकसाने संबंधी कानून / Abetment of Suicide Law

संदर्भ:

सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाने में संयम बरतने की आवश्यकता पर फिर से जोर दिया है। हाल ही में न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि **भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108** का प्रयोग अनावश्यक रूप से किया जा रहा है।

आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध (भारतीय दंड संहिता में):

उकसाने की परिभाषा:

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 107 (भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 45 के समकक्ष) के अनुसार उकसाने में शामिल हैं:

- किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए **उकसाना।**
- दूसरों के साथ मिलकर **षड्यंत्र रचना।**
- किसी कार्य को **जानबूझकर सहायता** प्रदान करना, चाहे वह कृत्य द्वारा हो या अवैध चूक के माध्यम से।

आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप को सिद्ध करने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि आरोपी ने प्रत्यक्ष रूप से मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया या सहायता की।

आत्महत्या के लिए उकसाने पर दंड:

- यह अपराध **सत्र न्यायालय (Sessions Court)** में विचारणीय होता है।
- यह **संज्ञेय (Cognizable), गैर-जमानती (Non-bailable), और गैर-समझौतायोग्य (Non-compoundable)** अपराध है।
- **धारा 306 IPC (BNS की धारा 108 के समकक्ष) के तहत दंड:**
  - **कैद:** 10 वर्ष तक की सजा।
  - **जुर्माना:** अतिरिक्त आर्थिक दंड।

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में दोषसिद्धि दर:

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) 2022 के आंकड़ों के अनुसार:

- **धारा 306 IPC के लिए दोषसिद्धि दर:** 17.5%।
- **सभी IPC अपराधों की समग्र दोषसिद्धि दर:** 69.8%।
- **संज्ञेय अपराधों (जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाना शामिल है) की दोषसिद्धि दर:** 54.2%।

आत्महत्या के लिए उकसाने का मानक

सुप्रीम कोर्ट का अक्टूबर 2024 का निर्णय:

सुप्रीम कोर्ट ने एक विक्रेता (salesperson) की आत्महत्या के मामले को खारिज कर दिया, जिसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) से जुड़े कथित कार्यस्थल उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।

मुख्य बिंदु:

- न्यायालय ने कार्यस्थल से संबंधित आत्महत्या मामलों में "अनावश्यक अभियोजन" से बचने की आवश्यकता पर बल दिया।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि:
  1. **उच्च प्रमाणिकता स्तर** अपेक्षित है, विशेषकर तब जब मृतक और आरोपी के बीच संबंध आधिकारिक हो (जैसे, नियोक्ता-कर्मचारी)।
  2. अभियोजन को यह साबित करना होगा कि **आरोपी ने जानबूझकर आत्महत्या के लिए प्रेरित किया।**
  3. आत्महत्या के लिए स्पष्ट और गंभीर उकसावे या प्रोत्साहन का ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

आत्महत्या के लिए उकसाने पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय:

1. **एम मोहन बनाम राज्य (2011):**
   - आरोप सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि:
     - आरोपी द्वारा सक्रिय या प्रत्यक्ष कृत्य किया गया हो।
     - मृतक के पास आत्महत्या के अलावा कोई अन्य विकल्प न बचा हो।
     - कृत्य जानबूझकर इस स्थिति में धकेलने के इरादे से किया गया हो।
2. **उदे सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2019):**
   - आरोप सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि:
     - प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के साक्ष्य उपलब्ध हों।
     - यदि आरोपी के निरंतर कार्य या व्यवहार के कारण मृतक को आत्महत्या के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं दिखता, तो यह **धारा 306 IPC** के अंतर्गत आ सकता है।

एनीमिया क्या है? / What is Anaemia?

संदर्भ:

एक हालिया अध्ययन के अनुसार, भारत में एनीमिया केवल आयरन की कमी (Iron Deficiency) से ही नहीं, बल्कि कई अन्य कारणों से भी हो सकता है। इनमें **विटामिन B12 की कमी** और **वायु प्रदूषण** जैसे कारक शामिल हैं। यह शोध एनीमिया के व्यापक कारणों को समझने और इसके निदान की दिशा में महत्वपूर्ण है।

एनीमिया के बारे में:

एनीमिया एक ऐसी चिकित्सीय स्थिति है जिसमें शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं (RBCs) या हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम हो जाता है, जिससे शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आती है।

एनीमिया के प्रमुख लक्षण:

- थकान और कमजोरी
- पीली त्वचा
- सांस फूलना

एनीमिया के प्रकार:

1. **आयरन-डिफिशियेंसी एनीमिया (Iron-Deficiency Anaemia):**
   - यह तब होता है जब शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक पर्याप्त आयरन नहीं होता।
   - कारण: खराब आहार, रक्तस्राव, या आयरन अवशोषण में समस्या।
2. **विटामिन-डिफिशियेंसी एनीमिया (Vitamin-Deficiency Anaemia):** यह शरीर में विटामिन B12 या फोलेट की कमी के कारण होता है, जो RBC उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं।
3. **अप्लास्टिक एनीमिया (Aplastic Anaemia):** यह तब होता है जब अस्थि मज्जा (Bone Marrow) पर्याप्त RBC का उत्पादन नहीं कर पाती।
4. **सिकल सेल एनीमिया (Sickle Cell Anaemia):** यह एक अनुवांशिक रोग है, जिसमें RBC असामान्य आकार के हो जाते हैं, जिससे रक्त प्रवाह में रुकावट और ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी हो सकती है।
5. **हीमोलिटिक एनीमिया (Hemolytic Anaemia):** यह RBCs के असमय टूटने (Premature Destruction) के कारण होता है।
6. **थैलेसीमिया (Thalassemia):** यह एक अनुवांशिक विकार है, जिसमें असामान्य हीमोग्लोबिन का उत्पादन होता है।
7. **क्रॉनिक डिजीज एनीमिया (Anaemia of Chronic Disease):** यह कैंसर, गुर्दे की बीमारी जैसी दीर्घकालिक बीमारियों से संबंधित होता है।

भारत में एनीमिया का बोझ:

भारत में एनीमिया की समस्या गंभीर रूप से बढ़ रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2019-21) के अनुसार:

- **15-49 वर्ष की महिलाओं में:** 57%
- **6-59 माह के बच्चों में:** 67%
- **15-19 वर्ष की किशोरियों में:** 59%
- **15-19 वर्ष के किशोर लड़कों में:** 31%

भारत में एनीमिया बढ़ने के कारण:

1. **पोषण संबंधी कमियाँ:**
   - विटामिन B12, फोलेट और अन्य एरिथ्रोपोएटिक पोषक तत्वों की कमी।
   - एरिथ्रोपोएटिक पोषक तत्व वे आवश्यक तत्व हैं जो हीमोग्लोबिन संश्लेषण और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करते हैं।
2. **पर्यावरणीय कारक:**
   - वायु प्रदूषण और अस्वच्छ वातावरण एनीमिया की समस्या को बढ़ाते हैं।
3. **रक्त संग्रहण विधियाँ:**
   - एनएफएचएस (NFHS) में प्रयुक्त कैपिलरी ब्लड सैंपल शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से एनीमिया की व्यापकता को बढ़ा-चढ़ाकर दिखा सकते हैं।
4. **आहार संबंधी आदतें:**
   - अपर्याप्त आहार विविधता पोषक तत्वों के अवशोषण को सीमित करती है, जिससे एनीमिया की समस्या बढ़ती है।

माउंट इबू / Mount Ibu

संदर्भ:

इंडोनेशिया के सबसे **सक्रिय ज्वालामुखी** में से एक, **माउंट इबु** ने जनवरी 2025 में 1,000 से अधिक बार विस्फोट किया है। यह ज्वालामुखी गतिविधि क्षेत्र में भूगर्भीय हलचलों और सतर्कता का संकेत देती है।

माउंट इबू के बारे में

- **स्थान:** माउंट इबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया के हलमहेरा द्वीप के उत्तर-पश्चिमी तट पर स्थित एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है।
- यह ज्वालामुखी गतिविधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, क्योंकि इंडोनेशिया पैसिफिक "रिंग ऑफ फायर" पर स्थित है और इसमें 127 सक्रिय ज्वालामुखी हैं।

स्ट्रेटोवोल्केनो (Stratovolcano) क्या है?

- इसे कंपोजिट ज्वालामुखी भी कहा जाता है।

मुख्य विशेषताएँ:

1. **आकृति:**
   - यह ज्वालामुखी शंकु के आकार के होते हैं, जो लगातार हुए विस्फोटों के दौरान जमी हुई विभिन्न परतों से बनते हैं।
2. **ढलान संरचना:**
   - आधार पर यह हल्की ढलान लिए होते हैं, लेकिन शिखर की ओर तेजी से ऊँचाई प्राप्त करते हैं, जिससे ऊँचे पर्वतीय शिखर बनते हैं।
3. **भू-स्थान:**
   - ये आमतौर पर सबडक्शन ज़ोन (जहां एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी के नीचे जाती है) के ऊपर पाए जाते हैं।
   - पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जैसे बड़े ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्रों में इनकी अधिकता देखी जाती है।
4. **संरचना:**
   - यह लावा, राख और टेफ्रा की परतों के क्रमिक जमाव से बनते हैं।
   - इसमें पायरोक्लास्टिक सामग्री और लावा की परतें एक के बाद एक बनती हैं।

स्ट्रेटोवोल्केनो के उदाहरण:

- **नेवादो डेल रुइज़ ज्वालामुखी (कोलंबिया, एंडीज़ पर्वत श्रृंखला)।**
- **उबिनास ज्वालामुखी (पेरू, एंडीज़ पर्वत श्रृंखला)।**

पैसिफिक रिंग ऑफ फायर:

- पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसे सर्कम-पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित एक घेराव क्षेत्र है, जो उच्च भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है।
- यह कई टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं को चिह्नित करता है, जहां सबडक्शन और ट्रांसफॉर्म मूवमेंट्स के कारण विशाल ऊर्जा का विस्फोट होता है, जिससे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं।

मुख्य तथ्य:

- **भूकंप:**
  - दुनिया के लगभग **90% भूकंप** रिंग ऑफ फायर के आसपास होते हैं।
- **ज्वालामुखी:**
  - यह **पृथ्वी के सक्रिय ज्वालामुखियों का 75%** हिस्सा है, जो इसे दुनिया का सबसे ज्वालामुखी रूप से सक्रिय क्षेत्र बनाता है।

भौतिक महत्व और प्रभाव:

1. **टेक्टोनिक गतिविधि:** टेक्टोनिक प्लेटों की आपसी क्रिया इस क्षेत्र को अत्यधिक सक्रिय बनाती है, जिससे सुनामी, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी महत्वपूर्ण प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं।
2. **कृषि लाभ:** ज्वालामुखी विस्फोटों से निकलने वाली राख मृदा को समृद्ध करती है, जिससे कृषि के लिए उपजाऊ जमीन मिलती है।
3. **भू-तापीय ऊर्जा:** टेक्टोनिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न आंतरिक गर्मी भू-तापीय ऊर्जा के उपयोग के लिए एक अवसर प्रदान करती है।

रिंग ऑफ फायर के आसपास स्थित देश:

- **उत्तर अमेरिका:** अमेरिका (अलास्का), कनाडा, मेक्सिको
- **दक्षिण अमेरिका:** चिली, पेरू, इक्वाडोर
- **एशिया:** जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया
- **ओशिनिया:** न्यू ज़ीलैंड, पापुआ न्यू गिनी

रबर बोर्ड की नई पहल / New Initiative of Rubber Board

संदर्भ:

भारतीय रबर बोर्ड ने भारत के रबर उद्योग को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से **iSNR (Indian Sustainable Natural Rubber)** और **INR Konnect** नामक दो महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। ये पहल भारतीय रबर उद्योग के सतत विकास और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए मील का पत्थर साबित होंगी।

iSNR (Indian Sustainable Natural Rubber):

उद्देश्य:

- भारतीय रबर उत्पादन को यूरोपीय संघ वनों की कटाई विनियमन (EUDR) मानकों के अनुरूप बनाना।
- यूरोपीय संघ के बाजार में प्रवेश को आसान बनाना।

मुख्य विशेषताएं:

1. **ट्रेसबिलिटी प्रमाणन (Traceability Certification):**
    - यह प्रमाणित करता है कि रबर उत्पादों की उत्पत्ति EUDR के अनुरूप है।
    - उत्पादन से लेकर आपूर्ति तक की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में मदद करता है।
2. **अनुपालन में सरलता:**
    - EUDR नियमों का पालन करने में हितधारकों (stakeholders) के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना।
    - निर्यातकों के लिए सुगम व्यापार मार्ग प्रदान करना।

INR Konnect: वेब-आधारित उत्पादकता मंच:

उद्देश्य: कम उपयोग वाली रबर बागानों के मालिकों को इच्छुक ग्रहणकर्ताओं (adopters) से जोड़कर उत्पादकता में सुधार करना।

मुख्य विशेषताएं:

1. **प्रमाणित नेटवर्क (Certified Network):** रबर बोर्ड द्वारा उत्पादकों, ग्रहणकर्ताओं और टैपर्स को प्रमाणित किया जाता है, जिससे उनकी विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।
2. **प्रशिक्षण (Training):** उत्पादन प्रबंधन और टिकाऊ प्रथाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि कुशल उत्पादन को बढ़ावा मिल सके।
3. **डेटाबेस (Database):** प्रमाणित टैपर्स की एक विस्तृत सूची बनाए रखी जाती है, जिससे सही संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

महत्व:

- भारत की कुल रबर संपत्ति का 20-25% हिस्सा कम उपयोग में है, जो कम कीमत और अनुपस्थित मालिकाना हक के कारण उपेक्षित रहता है।
- यह मंच इन चुनौतियों को दूर करने में मदद करता है और रबर क्षेत्र में टिकाऊ विकास को बढ़ावा देता है।

भारत की रबर उद्योग

संक्षिप्त विवरण:

- भारत प्राकृतिक रबर उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि थाईलैंड पहले और इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर हैं।
- भारत प्राकृतिक रबर का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
- केरल भारत के कुल प्राकृतिक रबर उत्पादन का 90% से अधिक योगदान देता है। अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं:
    - **तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम और मेघालय।**

मुख्य चुनौतियां:

1. जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पादन प्रभावित हो रहा है।
2. अन्य रबर उत्पादक देशों से प्रतिस्पर्धा।
3. कुशल श्रम की कमी, जो उत्पादन प्रक्रिया को प्रभावित करती है।

सरकार की पहल:

1. **राष्ट्रीय रबर नीति 2019 (National Rubber Policy 2019):**
    - उत्पादन बढ़ाने, उत्पादकता में सुधार करने और घरेलू रबर उद्योग को मजबूत करने का लक्ष्य।
2. **प्राकृतिक रबर क्षेत्र के सतत और समावेशी विकास योजना (Sustainable & Inclusive Development Scheme):**
    - टिकाऊ रबर खेती प्रथाओं को बढ़ावा देना।
    - रबर उत्पादकों की आजीविका में सुधार करना।
3. **INROAD परियोजना:**
    - भारत में कम उपयोग वाली रबर बागानों की पूरी क्षमता का उपयोग करने पर केंद्रित।

वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 / Global Risks Report 2025

संदर्भ:

हाल ही में विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) ने **ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025** जारी की है। यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर सामने आने वाले प्रमुख जोखिमों और चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसमें आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और भू-राजनीतिक खतरों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

भारत के शीर्ष जोखिम:

1. जल आपूर्ति की कमी
2. गलत सूचना और दुष्प्रचार
3. मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का ह्रास
4. वायु, जल और भूमि प्रदूषण
5. श्रम और प्रतिभा की कमी

भारत, एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी होने के नाते, व्यापार मार्गों और ऊर्जा सुरक्षा पर संभावित व्यवधानों का सामना कर सकता है, जो रणनीतिक क्षेत्रों में अस्थिरता के कारण उत्पन्न होते हैं।

राज्य-आधारित सशस्त्र संघर्ष:

- 2025 के लिए तत्काल जोखिम, बढ़ते भू-राजनीतिक विभाजन को दर्शाता है।

चरम मौसम घटनाएं:

- दीर्घकालिक जोखिम में शीर्ष स्थान पर।
- पिछले 50 वर्षों में मुद्रास्फीति समायोजित लागतों में 77% वृद्धि हुई है।

स्वल्पकालिक जोखिम (2025-2027):

- चरम मौसम दूसरी सबसे गंभीर वैश्विक चुनौती।
- 28 देशों में शीर्ष 5 जोखिमों में शामिल, जबकि 2024 में यह संख्या 24 थी।

क्षेत्रीय प्रभाव:

- अमेरिका में लॉस एंजिल्स जैसे क्षेत्रों में जंगल की आग से संभावित नुकसान $200 बिलियन से अधिक हो सकता है।

व्यापक प्रभाव:

- जलवायु परिवर्तन अनैच्छिक प्रवासन जैसे अन्य वैश्विक जोखिमों को भी प्रभावित कर रहा है, जो अल्पकालिक जोखिमों में आठवें स्थान पर है।

कार्रवाई की अपील:

- रिपोर्ट वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर जोर देती है, जो WEF वार्षिक बैठक के विषय "सहयोगात्मक बुद्धिमान युग" के अनुरूप
- देखा गया।

विश्व आर्थिक मंच (WEF)

परिचय:

विश्व आर्थिक मंच (WEF) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह विभिन्न उद्योगों, क्षेत्रों और वैश्विक स्तर पर नेताओं को नीतियों और एजेंडों को आकार देने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

स्थापना:

- इसकी स्थापना *क्लाउस श्वाब* द्वारा 1971 में *यूरोपीय प्रबंधन मंच* (European Management Forum) के रूप में की गई थी।
- WEF केवल शेयरधारकों के अल्पकालिक लाभ पर नहीं, बल्कि सभी हितधारकों के दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करता है।

विकास यात्रा:

- 1973 में, इसने अपने फोकस को आर्थिक और सामाजिक मुद्दों तक विस्तारित किया।
- 1975 में, इसने दुनिया की शीर्ष 1,000 कंपनियों के लिए सदस्यता शुरू की।
- 1987 में, इसका नाम बदलकर *वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम* कर दिया गया, जिससे यह संवाद के एक व्यापक मंच के रूप में विकसित हुआ।
- 2015 में इसे एक *अंतर्राष्ट्रीय संगठन* के रूप में मान्यता मिली।

प्रमुख रिपोर्ट्स:

1. **ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स (Global Competitiveness Index)**
2. **ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स (Global Gender Gap Index)**
3. **एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स (Energy Transition Index)**
4. **ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट (Global Risk Report)** -
5. **ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स (Global Travel and Tourism Competitiveness Index)**

ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) नीति / Open Market Sale Scheme (Domestic) Policy

संदर्भ:

केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने **2024-25 के लिए संशोधित ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) नीति** की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।

ओपन मार्केट सेल स्कीम (डोमेस्टिक) – OMSS

ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत, भारतीय खाद्य निगम (FCI) केंद्रीय भंडार में मौजूद अतिरिक्त खाद्यान्न (गेहूं और चावल) को समय-समय पर खुले बाजार में बेचता है।

प्रमुख विशेषताएं:

- **बिक्री प्रक्रिया:**
  - यह खाद्यान्न डीलरों, थोक उपभोक्ताओं और रिटेल चेन को पूर्वनिर्धारित दरों पर बेचा जाता है।
  - खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित कीमतों के अनुसार *ई-नीलामी (e-auction)* के माध्यम से बिक्री की जाती है।
- **राज्यों की भागीदारी:**
  - राज्य सरकारें अपनी *राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)* की निर्धारित सीमा से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीलामी में भाग लिए बिना सीधे अनाज खरीद सकती हैं।
  - खरीदा गया अनाज NFSA लाभार्थियों के बीच वितरित किया जाता है।

प्रमुख खरीददार राज्य (2022-23): कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, जम्मू-कश्मीर और असम ने OMSS के तहत चावल की सबसे अधिक खरीदारी की।

खरीद प्रक्रिया:

- FCI और राज्य एजेंसियों द्वारा रबी और खरीफ सीजन के दौरान गेहूं और धान की खरीद सरकार के अनुमानों के अनुसार की जाती है।
- खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के आधार पर की जाती है।

OMSS खाद्यान्न प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण नीति है, जिससे बाजार में संतुलन बना रहता है और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अनाज उपलब्ध होता है।

भारतीय खाद्य निगम (FCI)

परिचय:

भारतीय खाद्य निगम (FCI) एक सांविधिक निकाय है, जिसे *भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964* के तहत स्थापित किया गया था।

प्रशासनिक मंत्रालय:

- *उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय* के अंतर्गत कार्य करता है।

उद्देश्य:

1. **अन्न संकट की रोकथाम:** विशेष रूप से गेहूं की कमी को रोकने के लिए।
2. **खाद्यान्न प्रबंधन:** खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री सुनिश्चित करना।

मुख्यालय:

- **नई दिल्ली**, भारत।

FCI का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों को उचित मूल्य प्रदान करना है।

भारतीय खाद्य निगम (FCI) के कार्य:

1. **खाद्यान्न की खरीद (Procurement)**
2. **परिचालन और बफर स्टॉक बनाए रखना (Operational & Buffer Stock)**
3. **राज्यों को खाद्यान्न का आवंटन (Allocation to States)**
4. **केंद्रीय निर्गम मूल्य (Central Issue Price) पर बिक्री**
5. **खाद्यान्न का वितरण और परिवहन (Distribution & Transportation)**

स्पैम से निपटने के लिए लेजर प्रौद्योगिकी / Ledger Technology to Tackle Spam

संदर्भ:

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ग्राहकों की स्पैम प्राथमिकताओं को पंजीकृत करने के लिए **डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर तकनीक (DLT)** का उपयोग करेगा। TRAI ने संकेत दिया है कि स्पैम नियमों को और सख्त बनाया जाएगा, जिससे व्यावसायिक संदेशों को ट्रेस करना आसान होगा।

स्पैम क्या हैं?

स्पैम या **अनचाही व्यावसायिक संचार (Unsolicited Commercial Communications - UCC)** वे अवांछित, अप्रासंगिक या अनुचित संदेश होते हैं, जो डिजिटल माध्यमों जैसे **ईमेल, एसएमएस, सोशल मीडिया** आदि पर भेजे जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य विज्ञापन, प्रचार या धोखाधड़ी करना हो सकता है।

स्पैमिंग में शामिल कार्य:

1. **बल्क मैसेजिंग (Bulk Messaging)**
2. **सिस्टम जनरेटेड फोन कॉल (System Generated Phone Calls)**
3. **पहचान की चोरी (Identity Theft)**

स्पैम के प्रभाव:

- उपयोगकर्ता की गोपनीयता का उल्लंघन।
- साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय नुकसान का जोखिम।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक डेटा ट्रैफिक बढ़ना।
- महत्वपूर्ण सूचनाओं में रुकावट।

नियंत्रण के उपाय:

- ट्राई (TRAI) द्वारा डीएनडी (Do Not Disturb) सेवाएं।
- साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करना।
- स्पैम रिपोर्टिंग और उपभोक्ता जागरूकता अभियानों का विस्तार।

TRAI के बारे में:

- **भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI)** की स्थापना **दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997** के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र का नियमन करना है।
- TRAI उद्योग में **निष्पक्ष प्रथाओं** को सुनिश्चित करता है और **अवांछित व्यावसायिक संचार (UCC)**, जिसे आमतौर पर **स्पैम** कहा जाता है, से निपटने के उपाय करता है।

स्पैम से निपटने में TRAI की प्रमुख भूमिकाएँ:

1. **डू-नॉट-डिस्टर्ब (DND) रजिस्ट्री (2007):** दूरसंचार ग्राहकों को व्यावसायिक कॉल और संदेशों से बचने के लिए ऑप्ट-आउट (अस्वीकृति) करने की सुविधा प्रदान की गई।
2. **टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन (TCCCPR), 2018:** उन टेलीमार्केटर्स पर जुर्माना लगाया जाता है जो ग्राहकों की DND प्राथमिकताओं का उल्लंघन करते हैं।
3. **स्पैम रिपोर्टिंग के लिए सहयोग:**
    - बाहरी एजेंसियों के साथ मिलकर **DND ऐप** विकसित किया गया ताकि उपयोगकर्ता स्पैम की शिकायतें दर्ज कर सकें।
    - **2024 तक**, टेलीकॉम प्रदाताओं के ऐप्स पर स्पैम रिपोर्टिंग **अनिवार्य** कर दी गई।

वितरित खाता प्रौद्योगिकी (DLT):

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीकॉम कंपनियों को ब्लॉकचेन लेज़र, जिसे वितरित खाता प्रौद्योगिकी (DLT) भी कहा जाता है, का उपयोग करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। ब्लॉकचेन तकनीक डेटा की अपरिवर्तनीयता (immutability) सुनिश्चित करती है, जिसका अर्थ है कि लेन-देन में शामिल प्रत्येक हितधारक को एक भरोसेमंद और छेड़छाड़-मुक्त डेटा संस्करण प्राप्त होता है।

DLT की विशेषताएँ:

1. **स्वीकृत प्रेषकों की सूची:** यह एक **निरंतर अद्यतन होने वाली सूची** रखेगा जिसमें स्वीकृत SMS प्रेषकों का विवरण होगा।
2. **संदेश प्रारूप अनुमोदन:** टेलीकॉम कंपनियों को **विशिष्ट संदेश प्रारूपों** को भी पूर्व-स्वीकृति देनी होगी।
3. **दुनिया के सबसे कड़े नियमों में से एक:** यह नियम SMS स्पैम से लड़ने के लिए दुनिया के सबसे कठोर उपायों में से एक माना जाता है।

DLT का महत्व:

1. **पारदर्शिता और जिम्मेदारी:** यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी संदेश को SMS गेटवे पर भेजे जाने से पहले उसका **पूरा रिकॉर्ड** टेलीकॉम कंपनियों के पास होगा।
2. **सुरक्षा में वृद्धि:** सिस्टम में मौजूद उस महत्वपूर्ण खामी को दूर करने के लिए इसे लागू किया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति ब्लॉकचेन सिस्टम पर **अवैध रूप से पंजीकरण** कर सकता था।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !

RRB NTPC
TEST SERIES
100+ Mock Test
78 Sectional Test
40+ years PYPs
60+ Current affairs
TEST
Only
99
Per Year
Buy Now

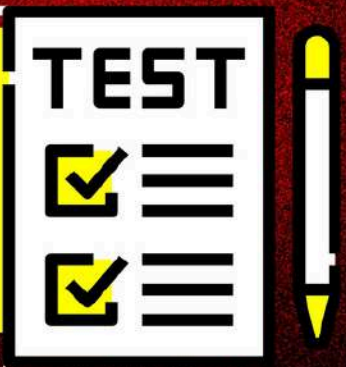

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

FOR ALL

- POLITY
- ECONOMICS
- HISTORY
- GEOGRAPHY

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs 4999/-

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

ONLY
POLITY
1499
RS
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/-Year

Enroll Now !